

#### प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 19]

नई बिल्ली, शनिशार, मई 12, 1984/वैशास 22, 1906

No. 19

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1984/VAISAKHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रका जा तक Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complistion

> भाग II—क्षण्ड 3—इप-क्षण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक प्रावेश सौर अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

#### गृह मंत्रासय

(कार्मिक और प्रकासनिक मुद्यार विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1984

का०भा० 1535—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीम सिविल सेवा (वर्गीकरण) निर्यक्तण और अपील नियम, 1965 का और संगोधन करने के लिए निस्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- ा. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संबोधन नियम, 1984 है।
  - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूची में---
- (1) भाग 1—केन्द्रीय सिविल नेवा, समूह "क" में—विश्वमान प्रविष्टि संख्या 41 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अवित् :— "42. भारतीय प्रसारण (६'जीनियर) सेवा।"
- (2) भाग 5---रक्ता सेवाओं में सिविल पर---
  - (क) कम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:---

1	2	3	4	5
ा. समूह्	'ख'' पद	अपर सिवध ,	अपर सचिव	ममी
(क) (1)	सभी समृह "ख" (राजपन्निन) पत्र उनसे भिन्न जिन्हें मद (ख) में विनिर्दिष्ट किया		<b>मुख्य प्रशा</b> मनिक अधिकारी .	(1) से (4)
	गया है।	,		

	1	<b>R</b>	3	4	5
ें }भिम्न	भन्न जिन्हें भद गया है।	'(अराजपत्नित) पद उनसे (ख) में निर्निदिष्ट किया ग्रीन निम्नतर विरचनाओं पद:—	मृक्य प्रणामनिक अधिकारी	मुक्य प्रशामनिक अधिकारी	मंभी
	जनरेल स्टॉफ भा		उप मुख्य मेनाध्यक्ष	यथास्थिति, उप मुख्य सेनाध्यक्ष निदेशक सेना आसूचना, निदेशक सैनिक प्रशिक्षण, निवेशक दोपक्षाना, सिगनस आफिसर मंचार्ज, निदेशक स्टाफ ड्यूटी ।	मधी } (1) में (4)
(2)	एडजुटेंट जभरम -	। <b>भा</b> ची	ए <b>ङज्</b> टेंट जमरल ।	एडजुटेंट जनरल यथास्थिति निदेशक संगठन, निदे- शक चिकित्सा सेवाएं, महाधिवक्ता, } निदेशक भर्ती, सेना वायु सेना एटैंची }	सभी . ·(1) से (4)
(3)	भवाटेर भास्टर	जनरल	क्वार्टर मास्टर जनरल	क्वार्टर मास्टर जनरल संबंधित निदेशक जो क्रिगेडियर के पद से निम्न रैंक.पर कार्य न कर रहा हो।	सभी (1) से (4)
(4)	भाष्टर जनरल	आहेनेच्य गावा	मास्टर जनराज आईनेन्स	मास्टरजनरल आईनेन्स यथास्थिति निदेशक, आयुध सेवाएं, विवेशक विद्युत तथा यान्निकी ह इंजीनियरी	सभी }(1 <del>)</del> से(4)
(5)	प्रमुख इंजीनिय	ग्शांचा	प्रमु <b>ख</b> इंजीनियर	प्रमृख इंजीनियर क्मांडों  प्रमृख इंजीनियर	मभी (1) से (4)
(6)	नौसेना मुख्याल	य	चीफ आफ पर्सनल	चीफ आफ पर्सनल  पर्लंग आफिसर कर्माडिंग इन वीफ पश्चिमी नोसेना कमान बंबई, पर्लंग आफिसर कर्माडिंग इन चीफ पूर्वी नोसेना कमान, विशाखापत्तनम, पर्लंग आफिसर कर्माडिंग इन चीफ, दक्षिणी नोसेना कमान कोचीन पर्लंग आफिसर कर्माडिंग गोवा क्षेत्र, गोवा, किला कमांडर अदमान और निकोबार दीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, एडमिरल अधी- क्षक नोसेना डाक्यार्ड बम्बई। एडमिरल अधीक्षक नोसेना डाक्यार्ड बम्बई। एडमिरल अधीक्षक नोसेना इक्यार्ड बम्बाइन	सभी    -   (1) सँ (4)
	बायु तेना मुख्य		वायु प्रभारी अफसर कार्मिक	वायु प्रभागि अफगर कामिक वायु सेना मुख्यालयः।	सभी ्
(8)	महानिदेशक, स	शिस्त्र सेना चिकित्सा सेनाम्	महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्मा सेवाएं	महानिदेशक सशस्त्र मेना चिकित्सा मेवाएं	म <b>भी</b>
(e)	महानिदेशक रा	प्द्रीय केविट कोर	महानिदेशक राष्ट्रीय केडिट कोर	महानिदेशक राष्ट्रीय केंडिट कोर	मभी ्
(10)	महानिदेशक र	का मूमि तथा छावनी	महानिदेशक रक्षा भूमि तथा छावनी	महानिवेशक रक्षा भूमि तथा छावनी	सभी
(11)	महानिदेशक अ	ायुष्ट फैक्टरी	भहानिवेशक आयुध फैनटरी	महानिदेशक आ <b>यु</b> ध फैक्टरी	मभी
(12)	महानिदेशक नि	ारीक्षण	महानिदेशक निरीक्षण	महानिदेशक निरीक्षण	सभी
		स तथा उत्पादन (बायु मेना)	निवेणक तकनीकी विकास तथा उल्पादन (वायुसेना)	निदेशक तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु सेना)	मभी
	रका अनुमंद्रान संख्या 2 के साम	तथा विकास संगठन	महानिवेणक रक्षा अनुसंधान तथा विकास	महानिवेशक रक्षा अनुसंधान तथा विकास मुख्य नियंकक अनुसंधान तथा विकास (प्रशासन)	सभी (1) से (4)

#### (ब) र्जम संख्या 2 के सामने ---

- (1) "श्रेणी 3 तथ। श्रेणी-4 पद" सीर्षक के स्थान पर समूह "ग" नथा समूह "घ" पद शीर्षक रखा जाएगा---
- (2) स्तम्भ 2 में पैरा (क) के अधीन उप पैरा (2) और प्रकिष्ट "सहायक जनरल शाका" के स्थान पर निम्नलिखित रक्षा जाएगा, अर्थात् :--
  - (2) एडजुटेंट शाखा (जिसके अन्तर्गत सेना आयुध कीर, विद्युत तथा यात्रिकी इंजीनियर तथा सेना फार्म रिकार्डों में भिन्न सेना रिकार्ड कार्यालयों में के सभी समृह "ग" पद है)"।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

# New Delhi, the 25th April, 1984

- S.O. 1335. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1984.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965,—
  - (1) In Part I Central Civil Services, Group 'A' after the existing entry No. 41, the following shall be inserted, namely :-
  - "42. Indian Broadcasting (Engineers) Service."
  - (2) In Part V-Civil Posts in Defence Services-
    - (a) for social number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

	2	3	4	5
	b 'B' Posts :— b) All Group 'B' (Gazetted) c) posts other than those c) specified in item (B)	Additional Secretary	Additional Secretary Chief Administrative Officer	All (i) to (iv)
(	ii) All Group 'B' (Non-Gazetted posts other than those speci- fled in item (B)	Chief Administrative Officer	Chief Administrative Officer	
(B) F	osts in Lower formations under :- (i) General Staff Branch	Deputy Chief of Army Staff	Director of Military Intelligence Director of Military Training	All (i) to (iv)
,	(ii) Adjutant General's Branch	Adjutant General	Adjutant General Director of Organisation Director of Medical Services	All (i) to (iv)
(	iii) Quarter Master General's Branch	Quarter Master General	Quarter Master General Director concerned holding rank not below Brigadier.	All (i) to (iv)
	(iv) Master General of Ordnance Branch	Master General of Ordnance	Master General of Ordnance  Director of Ordnance Services Director of Electrical and Mcchanical Engineering, as the case may be.	All (i) to (iv)
	(v) Engineer-in-Chief Branch	Engineer-in-Chief	Engineer-in-Chief Chief Engineers of Commands	All (i) to (iv)
-	vi) Naval Headquarters	Chief of Personnel	Chief of Personnel Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, Bombay Flag Officer Commanding-in-Chief Eastern Naval Command, Visakhapatnam Flag Officer Commanding-in-Chief Southern Naval Command, Cochin, Flag Officer Commanding, Goa Area, Goa The Fortress Commander, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, Admiral Superintendent, Naval Dockyard, Bombay Admiral Superintendent, Naval Dockyard, Visakhapatnam Chief Hydrographer, Naval Hydrographic Office, Dehradun.	All (i) to (iv)
(	vii) Air Headquarters	Air-Officer-in- Charge Personnel, Air Headquarters.	Air-Officer-in-Charge Personnel, Air Headquarters.	Äll

-	2	3	4	3
(vlii)	Directorate General Armed Forces Medical Services	Director General Armed Forces Medical Services	Director General, Armed Forces Medical Services	All
(ix)	Directorate General National Cadet Corps.	Director General National Cadet Corps	Director General; National Cadet Corps.	All
(x)	Directorale General Defence Lands and Cantonment		Director General, Defence Lands and Cantonment.	All
(xi)	Ordnance Factories	Director General, Ordnance Factories	Director General, Ordnance Factories	All
(xil)	Directorate General of Inspection	Director General, of Inspection	Director General of Inspection	All
iiix)	) Technical Development and Production (Air) Organisation	Director of Technical Development and Production (Air)	Director of Technical Development and Production (Air)	Ali
(xív	Defence Research and Development Organisation.	Director General, Defence Research and Development	Director General, Defence Research and Development.	Aii
		• •	Chief Controller, Research and Development (Administration)	'(i) to (iv)

## (b) against serial number 2,-

- (i) for the heading "Class III and Class IV Posts", the heading "Group C and Group D Posts" shall be substituted;
- (ii) in column 2, under para (B), for sub-para (ii) and the entry "Adjutant General's Branch" the following shall be substituted, namely:—
  - "(ii) Adjutant General's Branch (including all Group 'C' posts in Record Offices of the Army other than Army Ordnance Corps, Electrical and Mechanical Engineers and Military Forms Records)."

[No. F. 11012/7/82-Estt.(A)] MANJULA SUBRAMANIAM, Dy. Secy.